FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[अदा]लत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम - सवाई माधोपुर

विजय .... बनाम .... [illegible]

[मु]कदमा .... RTA 223 .... मुकदमा नं. 35/2023

[त]ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/6/23	यह द्वितीय अपील अपि० श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल द्वारा राज० काश्त० अधि० 223 धारा के तहत पेश की गई है। बाद जांच रिपोर्ट पेश हो। अपील मय जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट मसिल का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि अपील मियाद बाहर पेश है परन्तु धारा 5 मियाद अधि० का प्रा० पत्र भी संलग्न नहीं है। धारा 96 सी.पी.सी. का प्रा० पत्र संलग्न है। अहलमद रिपोर्ट के अनुसार अपील क्षेत्राधिकार क्षेत्र से बाहर है। ~~अहल~~ अहलमद की रिपोर्ट के पश्चात भी अपि० अपि० द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर बहस की गई। बहस में कथन किया कि ~~बहस में~~ अपीलान्ट की प्रथम अपील अदालत मातहत द्वारा धारा 5 में खारिज किये जाने के कारण क्षेत्राधिकार [illegible] न्यायालय को ही क्योंकि धारा 223 काश्तकारी अधि० में सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी न्यायालय का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील अधिकारी को ही है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त अरुण कुमार v/s अरविन्द कुमार रिट पीटिशन 8522/2015 पेश की। अपील दर्ज रजि० हो। बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दृष्टान्त का भी सहसम्मान अवलोकन किया गया। रा० का० अधिनियम धारा 223	

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान...... विजय ...... बनाम...... लैण्ड होल्डर वगै० ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं इसमें लिखित शिड्यूल पार्ट 3 का भी अवलोकन किया गया। उक्त धाराओं एवं शिड्यूल के अवलोकन से पाया गया कि यह द्वितीय अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/02/23 अपील निरुद्ध नामान्तकरण संख्या 132 दिनांक 05/02/2007 ग्राम जलोदरा तह० गंगापुर सिटी के विरुद्ध पेश की गई है। इस प्रकार काश्त० अधिनियम 223 में राजस्व अपील अधिकारी को उपधारा 2 जो इस प्रकार है sec 223 RTA Appeals from Original orders - An appeal shall lie from an original ~~order~~ decree — (i) — (ii) to the [Revenue Appellate Authority] of such decree passed by an Assistant Collector, a Sub-divisional officer or a Collector. इस प्रकार उक्त धारा से यह स्पष्ट है कि राजस्व अपील अधिकारी केवल उन्ही मूल डिक्रियो की अपील की सुनवाई करेगा जो अदालत मातहत द्वारा जारी की गई है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में यह अपील मूल डिक्री की न होकर द्वितीय अपील है। इसी प्रकार शिड्यूल 3 में यह उल्लेख प्रावधान में अंकित है। प्रार्थि० अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त चस्पा नहीं होता है। राज० काश्तकारी अधिनियम 222 के प्रावधान इस प्रकार है :-	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान.......विजय.......बनाम.......छोटू होला वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Sec. 222 — Appeal not to lie unless allowed by this Act — No appeal shall lie from any decree or order passed by any revenue court except provide in this act. इस प्रकार राज. काश्तकारी अधिनियम २२२ के तहत यह अपील इस न्यायालय में क्षेत्राधिकार बाधित होने के कारण अपील को क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर इसी तार पर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुले सेर इजलास सुनाया गया।	

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर